

प्रेषक,

प्रधान न्यायाधीश,  
पारिवारिक न्यायालय,  
कानपुर नगर।

सेवा में,

महानिबन्धक,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

पत्र संख्या-226/2024 / पारिवारिक न्यायालय, कानपुर नगर, दिनांक 27/6/24

विषय- चिकित्सा व्यय पूर्ति का दावा स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।


महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि मैंने अपने हृदय का आपरेशन व इलाज दिनांक 15.09.2022 से दिनांक 03.12.2022 तक अपोलो हास्पिटल, लखनऊ में कराया था, जिसमें मुबलिय 3,95,592/-रूपये की धनराशि व्यय हुई है, जिसकी संस्तुति हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर नगर को प्रतिहस्तारित करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। जहाँ से मुबलिय 3,91,560/-रूपया की धनराशि की संस्तुति होकर प्राप्त हुई थी, जो माननीय न्यायालय से स्वीकृति की प्रत्याशा में पत्र मय दावों सहित प्रेषित किया गया था, किन्तु माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या-2966/IV 2772/एडमिन ए-1 सेक्शन दिनांकित 06.03.2024 के अनुसार कुछ आपत्तियाँ पायी गयी थी, जिसके अनुपालन में आपत्तियों का निस्तारण करके, पुनः जिसकी संस्तुति हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर नगर को प्रतिहस्तारित करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था उक्त कार्यालय से अलग-अलग दावे क्रमशः 30,000/-, 40,968/- एवं 3,20,592/-, कुल 3,91,560/-रूपया प्रतिहस्ताक्षर होकर प्राप्त हुआ है।

अतः अनुरोध है कि संस्तुति हुई मुबलिय कुल धनराशि 3,91,560/-रूपया की धनराशि के दावों को माननीय न्यायालय से स्वीकृत कराये जाने की कृपा करे।

साभार,

भवदीय,

  
27.6.24

(प्रमोद कुमार-द्वितीय)

प्रधान न्यायाधीश,  
पारिवारिक न्यायालय,  
कानपुर नगर।

संलग्नक-

उक्त तीनों दावे मूल रूप में।

Received  
Received  
(BR)  
28/06/24  
① LL